**रजिस्ट्री. सं. डी.एल.- 33004/99**

**भारत का राजपत्र**

**असाधरण**

**भाग-।।-खंड 3- उपखंड (i)**

**प्राधिकार से प्रकाशित**

**सं. 497**

**नई दिल्ली, गुरुवार, सितम्बर 11, 2008/भद्रा 20, 1930**

**जनजातीय कार्य मंत्रालय**

**अधिसूचना**

**नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2008**

**सा.का.नि. 651 (अ).-** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा की शर्तें और कार्यकाल) नियम, 2004 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात­: -

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा की शर्तें और कार्यकाल) संशोधन नियम, 2008 कहा जा सकता है

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा की शर्तें और कार्यकाल) नियमावली, 2004, के नियम 5 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य ऐसे वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार होंगे जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय है।

परंतु अध्यक्ष किराया मुक्त आवास के भी हकदार होंगे।

**[फा.स. 18012/02/2008-सी एंड एलएम-I]**

**रुचिरा पंत, संयुक्त सचिव**